राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,
ईमेल – we.wshgi@gmail.com फैक्स नम्बर 0141–5196317

क्रमांक प–13(1)/निमअ/SHG/RKCL/2013–14/ 5652०-52 जयपुर दिनांक 26-9-13

कार्यक्रम अधिकारी
महिला अधिकारिता
समस्त

विषयः– महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा अन्तर्गत RS-CIT पाठ्यक्रम एवं डिजिटल सहेली पाठ्यक्रम हेतु चयन कर प्रशिक्षण प्रारम्भ करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 7 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में 20 सितम्बर, 2013 तक आई.टी. ज्ञान केन्द्रो पर निःशुल्क अपलोड़ किये गये ऑन–लाइन आवेदको का चयन उपनिदेशक मबावि, कार्यक्रम अधिकारी म.अ. एवं आर.के.सी.एल. के स्थानीय प्रतिनिधि (डी.एल.सी.) द्वारा निम्न प्रकार से चयनबद्ध तरीके से किया जाना हैः–

1. कार्यक्रम अधिकारी के लॉगिन खोलने हेतु कार्यक्रम अधिकारी को पूर्व में दिये गये पासवर्ड का ही उपयोग किया जावेगा। इस पासवर्ड को सम्बन्धित अधिकारी अपने तक रखे ताकि अन्य कोई इसका दुरूपयोग नहीं कर सके।
2. कार्यक्रम अधिकारी के लॉगिन पर समस्त आवेदन पत्रों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में कम्प्यूटर द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट के क्रम में दिखाई देगी।
3. लॉगिन पर दिखाई देनी वाली सूची में से, चयन समिति को महिलाओं/बालिकाओं का चयन निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु करना है, यदि किसी के चयन पर कोई आपत्ति है तो साइट पर ही कारण दर्ज करते हुए उसे निरस्त (X) कर उसके आगे के नाम का चयन कर सकते हैं।
4. इस कार्य के लिए मदद हेतु RKCL का स्थानीय DLC प्रतिनिधि मौजूद रहेगा।
5. दोनों पाठ्यक्रमों हेतु महिलाओं/बालिकाओं का निम्न संख्या में प्रति आई टी ज्ञान केन्द्र चयन करना हैः–

	RS-CIT	डिजिटल सहेली
• समस्त जिले (जयपुर एवं अलवर को छोडकर)	6	4
• जयपुर	5	4
• अलवर	5	5
• निदेशालय के अमृता IT ज्ञान केन्द्र	54	79

6. निदेशालय, महिला अधिकारिता एवं जिलों के कार्यक्रम अधिकारी को आरकेसीएल द्वारा पाठ्यक्रम वाइज आवेदन करने वाली महिलाओं/बालिकाओं की सूची मय उनकी योग्यता के दस्तावेजों की सी.डी., आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार दिनांक 30.9.13 तक उपलब्ध करवाई जायेगी।
7. जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा पाठ्यक्रम वाइज एवं आई टी ज्ञान केन्द्र वाइज ऑनलाइन चयन दिनांक 01.10.13 से 4.10.13 तक किया जायेगा।
8. निदेशालय, महिला अधिकारिता एवं जिलों के कार्यक्रम अधिकारी को आरकेसीएल द्वारा पाठ्यक्रम वाइज चयनित महिलाओं/बालिकाओं की सूची मय उनकी योग्यता के दस्तावेजों की सी.डी. आई. टी.ज्ञान केन्द्रवार दिनांक 8.10.2013 तक उपलब्ध करवाई जायेगी (हार्ड कॉपी एवं सीडी सहित) ।
9. आरकेसीएल द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होने बाबत् सूचना दिनांक 07.10.13 से 8.10.13 को दी जायेगी।

Desktop/Rathi /Let.Nov....doc

11. RS–CIT / डिजिटल सहेली पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिनांक 16 अक्टूबर, 2013 से आरम्भ किया जायेगा।
12. निदेशालय, महिला अधिकारिता एवं जिलों के कार्यक्रम अधिकारी को आरकेसीएल द्वारा पाठ्यक्रम वाइज ज्वॉइन करने वाली प्रशिक्षणार्थियों की आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार सूची 23 अक्टूबर, 2013 तक उपलब्ध करवाई जायेगी।
13. आरकेसीएल द्वारा प्रथम किश्त (50 प्रतिशत राशि) के भुगतान हेतु प्रशिक्षणार्थियों की सूची पाठ्यक्रम वाइज एवं आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार जिलों में कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत कर, उनसे प्रमाणीकरण करवाकर बिल के साथ निदेशालय महिला अधिकारिता को दोनों कार्यक्रमों (डिजिटल सहेली एवं RS-CIT) के लिये 31.10.2013 तक प्रस्तुत की जायेगी। (हार्ड कॉपी एवं सीडी सहित)
14. आरकेसीएल द्वारा अन्तिम किश्त (शेष 50 प्रतिशत राशि) के भुगतान हेतु प्रशिक्षणार्थियों की सूची के पाठ्यक्रम वाइज एवं आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार जिलों में कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत कर, उनसे प्रमाणीकरण करवाकर बिल के साथ निदेशालय महिला अधिकारिता को डिजिटल सहेली के लिये दिनांक 11.12.13 तक एवं RS-CIT के लिये दिनांक 15.02.14 तक प्रस्तुत की जायेगी। (हार्ड कॉपी एवं सीडी सहित)

पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने पर आप द्वारा इसका नियमित पर्यवेक्षण चैक लिस्ट के अनुसार कर प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. टीना कुमार)
निदेशक
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प–13(1)( ) RKCL / 2012–13 / 56553-623
जयपुर दिनांक 26.9.13

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता जयपुर राज0।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन, झालाना, जयपुर, उपरोक्तानुसार महिलाओं / बालिकाओं का निःशुल्क कम्प्युटर प्रशिक्षण / परीक्षा की कार्यवाही समय से प्रारम्भ करवाने एवं इस सम्बन्ध में उपनिदेशक मबावि / कार्यक्रम अधिकारी म.अ. को सूचना उपलब्ध करवाने एवं सहयोग करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देश प्रदान कराये।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त जिला।
4. उपनिदेशक मबावि, समस्त जिला
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय महिला अधिकारिता
6. प्रोग्रामर, म.अ. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु

अतिरिक्त निदेशक (SHG)

Desktop/Rathi /Let.Nov....doc